फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– **श्री शंकरलाल**

विपक्षी :– **श्री कालुलाल**

किस्म मुकदमा :– 212 रा.का.अधिनियम

पत्रावली संख्या :– 104/24

जीसीएमएस नम्बर :– 2024/385

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 15.09.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। विपक्षी संख्या 2 से 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। विपक्षी संख्या 1, 5, 6 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर पूर्व में बन्द किया जा चुका हैं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस टी.आई पूर्व पेशी पर सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा ढाणी पटवार हल्का गादोली तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 116 पर दर्ज आराजी नम्बर 1994, 3962/1995 किता 2 कुल रकबा 0.3642 हेक्टेयर, खाता संख्या 32 पर दर्ज आराजी नम्बर 1901 रकबा 0.1457 हेक्टेयर, खाता संख्या 135 पर दर्ज आराजी नम्बर 3975/1980 रकबा 0.0324 हेक्टेयर, खाता संख्या 117 पर दर्ज आराजी नम्बर 1993 रकबा 0.1862 हेक्टेयर, खाता संख्या 110 पर दर्ज आराजी नम्बर 1996 से 2002, 2046 किता 8 कुल रकबा 4.6944 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 134 पर दर्ज आराजी नम्बर 3976/1980 रकबा 0.0324 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 के पिता, विपक्षी संख्या 2 से 4 के दादा, विपक्षी संख्या 5 स्वयं तथा खातेदार लेहरीबाई के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। प्रकरण के अवलोकन से प्रार्थीगण द्वारा घोषणा, बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है वादग्रस्त भूमि सवा, लेहरी व अन्य सहखातेदार के नाम संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। प्रार्थीगण द्वारा सवा, लेहरी का स्वर्गवास होना बताकर प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 से 4 सवा व लेहरी के वारिसान होना बताया तथा सवा व लेहरी के नाम दर्ज हिस्सा भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण पैतृक सम्पति में हिस्से की घोषणा चाहते हैं। प्रार्थीगण के कथनानुसार विपक्षी संख्या 1 से 4 वादग्रस्त भूमि पर बिना बंटवाडा करवाये पक्का निर्माण कार्य करने पर आमादा है इसलिए प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षी संख्या 1 से 4 को पाबंद करवाना चाह रहे हैं परन्तु वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व विपक्षीगण के मौरूस के नाम दर्ज होने से यदि विपक्षीगण को रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाता है तो इससे मृतक खातेदार के विरासत का नामान्तरकरण पारित नहीं हो पायेगा तथा प्रार्थीगण व विपक्षीगण को ही काफी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। विपक्षीगण मौके	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:29 IST
Reason: SelfAttested

पर पक्का निर्माण कार्य करने पर उतारू हैं प्रार्थीगण के इस कथन को भी नकारा नहीं जा सकता है चूंकि यदि मूल वाद में वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति होना साबित होकर प्रार्थीगण को खातेदार घोषित किया जाता है एवं विपक्षीगण द्वारा मौके पर पक्का निर्माण कर लिया जाता है तो इससे प्रार्थीगण को काफी कठिनाई का सामना करना पडेगा तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 से 4 के मौरूस के नाम दर्ज होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से 4 दोनों के पक्ष में साबित होते हैं। इसलिए उभय पक्षकारान को मूल वाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। शेष अन्य बिन्दू मूल वाद में साक्ष्य सबूत गवाह आदि के आधार पर तय किये जावेगे। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा ढाणी पटवार हल्का गादोली तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 की खाता संख्या 116 पर दर्ज आराजी नम्बर 1994, 3962/1995 किता 2 कुल रकबा 0.3642 हेक्टेयर, खाता संख्या 32 पर दर्ज आराजी नम्बर 1901 रकबा 0.1457 हेक्टेयर, खाता संख्या 135 पर दर्ज आराजी नम्बर 3975/1980 रकबा 0.0324 हेक्टेयर, खाता संख्या 117 पर दर्ज आराजी नम्बर 1993 रकबा 0.1862 हेक्टेयर, खाता संख्या 110 पर दर्ज आराजी नम्बर 1996 से 2002, 2046 किता 8 कुल रकबा 4.6944 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 134 पर दर्ज आराजी नम्बर 3976/1980 रकबा 0.0324 हेक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से 4 मूल वाद के निस्तारण तक खातेदार सवा पिता इन्द्रा व लेरी पत्नी हजारी रेबारी के नाम दर्ज हिस्सा भूमि के मौके की यथास्थिति बनाए रखें। किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें। कृषि कार्य करने पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:29 IST
Reason: SelfAttested